बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, बेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in, ई-मेल: bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि० प्रा०/ नि० 1–41/ 2023 2608 /पटना, दिनांक 09/09/2025

प्रेषक,

कयूम अंसारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰),
खगड़िया/पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/मुजफ्फरपुर ।
प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰),
अलौली, खगड़िया/छौड़ादानो, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/औराई, मुजफ्फरपुर।

विषय : **बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन निबंधित दुग्ध उत्पादक स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का प्रकाशन।**

महाशय,

बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम–7, 2013) में निहित्त प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या–1003 दिनांक 10.09.2013 द्वारा बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने–अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) एवं अधिसूचना संख्या–1004 दिनांक 10.09.2013 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) पदनामित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी अपने आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम–7, 2013) द्वारा सौंपे गए दायित्व के आलोक में प्राधिकार **उन दुग्ध उत्पादक स्वाबलम्बी सहकारी समितियों** का निर्वाचन कराना चाहता है, जो अवक्रमित है या जिनका निर्वाचन देय है, वैसी समितियों की सूची **अनुलग्नक–1** पर दी गई है।

4. उक्त समिति की उपविधियाँ में उन योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का उल्लेख है, जिनके आधार पर कोई व्यक्ति समिति का सदस्य बन सकता है या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। संबंधित दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक समिति से सम्पर्क स्थापित कर उसकी उपविधियाँ की एक प्रति संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को तुरंत उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी –सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से भी संबंधित समिति की उपविधियाँ स्थानीय स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे।

5. अनुलग्नक–। में वर्णित उक्त समिति की मतदाता सूची की तैयारी एवं उसके बाद निर्वाचन के उद्देश्य से प्राधिकार ने **दिनांक 31.08.2025** को कट–ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। केवल वैसे व्यक्ति, जो **दिनांक 31.08.2025** तक समिति की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं तथा जो अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जा सकेंगे।

6. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

i) सूची में अंकित दुग्ध उत्पादक स्वावलम्बी समिति **प्रपत्र–एम 1** में तीन प्रतियों में प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर अपने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक को समर्पित करेंगे। ज्ञातव्य है कि प्राधिकार के **पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024** द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में संबंधित दुग्ध समिति ने पूर्व में अपनी प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित तथा पर्यवेक्षकीय कर्मी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सूची तैयार की होगी। प्रबंधकारिणी समिति की उक्त बैठक के बाद एवं मतदाता सूची की तैयारी के लिए निर्धारित कट–ऑफ तिथि के पूर्व, कोई सदस्य बनाए गए हों, या हटाए गए हों या मृत हो गए हों, तो वैसे परिवर्त्तनों के आधार पर किये गये संशोधनों को भी उक्त सूची में सम्मिलित किया जाएगा एवं उस पर यथास्थिति समिति के अध्यक्ष/ प्रशासक द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर किया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची होगी। अतः उस सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो समिति को एक अलग सूची बनाकर यह स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि नियमावली/ उपविधि के किस प्रावधान के तहत् तथा किस प्रक्रिया को अपनाकर सदस्यता समाप्त की गयी है। दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक इस सूची पर विशेष ध्यान देंगे। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि सदस्य की अगर कोई अयोग्यता हो तो उसका उल्लेख प्रपत्र– एम 1 के स्तंभ– 5 में निश्चित रूप से कर दिया जाए। समिति का यह भी दायित्व होगा कि कट–आफ तिथि तक वैध रूप से सदस्य बनाए गए सभी व्यक्तियों का नाम प्रपत्र– एम 1 में अवश्य सम्मिलित रहे। समिति के स्तर पर तैयार की गई यह प्रारूप मतदाता सूची संबंधित दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक को **दिनांक 15.09.2025** तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर कोई समिति उक्त तिथि तक प्रारूप मतदाता सूची प्रबंध निदेशक को समर्पित करने में विफल रहती है तो यह प्रबंध निदेशक का दायित्व होगा कि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर समिति की प्रारूप मतदाता सूची अपनी देख–रेख में तैयार कराएँ। **प्रारूप मतदाता सूची तैयार करते समय समिति द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि मतदाता सूची के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चत्तम न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन न हो।**

ii) समिति द्वारा समर्पित प्रारूप मतदाता सूची की प्रमाणिकता की जाँच संबंधित प्रबंध निदेशक द्वारा की जाएगी। प्रबंध निदेशक प्राप्त अभिलेख एवं समिति के अभिलेख यथा– सदस्यता बही, सभा बही, कैशबुक आदि तथा अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधनों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्राधिकृत किये गये हैं। उनके द्वारा जो भी सुधार किया जाएगा, उसके संबंध में स्पष्ट कारण भी अंकित किया जाएगा। जाँचोपरान्त एवं संशोधनोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची **दिनांक 18.09.2025** तक संबंधित समिति के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रबंध निदेशक की जिम्मेवारी होगी कि प्रारूप मतदाता सूची में दी गई सूचनाएँ सही हैं तथा कट–ऑफ तिथि तक सभी वैध सदस्यों का नाम मतदाता सूची में शामिल रहे। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गई है। अतः प्रबंध निदेशक का यह भी दायित्व होगा कि उक्त सूची से यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो तो वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि अधिनियम/ नियमावली/ उपविधि के प्रावधनों के तहत प्रक्रिया अपनाकर ही सदस्यता समाप्त की गई हो। निर्वाचन की पिछली मतदाता सूची से जिनका नाम समिति ने हटा दिया है और समिति द्वारा कंडिका– 6 (i) के अनुसार दी गयी सूची में सही प्रक्रिया के तहत नाम नहीं हटाया गया हो तो प्रबंध निदेशक उसकी मान्यता नहीं देंगे और तद्नुसार सूची में सुधार करेंगे।

iii) संबंधित दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित प्रारूप मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी इस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना **प्रपत्र–एम 2** में निर्गत की जायेगी। **प्रपत्र–एम 2 के सूचना की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर भी किया जाना है। इससे संबंधित निर्देश परिशिष्ट–। में संलग्न है।**

7. अनुलग्नक–1 में सन्निहित दुग्ध उत्पादक स्वाबलम्बी सहकारी समितियों की मतदाता सूची की तैयारी हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :–

क्र०	कार्यक्रम	तिथि
1	दुग्ध उत्पादक स्वाबलम्बी सहकारी समिति द्वारा प्रपत्र–एम 1 में सदस्यता सूची दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक को उपलब्ध कराना	15.09.2025
2	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	18.09.2025
3	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन	19.09.2025
4	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित हो	19.09.2025
5	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	19.09.2025 से 06.10.2025 तक
6	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	08.10.2025

8. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्नांकित स्थलों पर किया जायेगा :–

(क) निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ख) समिति के कार्यालय के सूचना पट पर।

(ग) संबंधित दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के कार्यालय के सूचना पट पर।

(घ) प्राधिकार के वेबसाईट पर (इस से संबंधित निदेश परिशिष्ट–1 में दिया गया है)

9. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी सदस्य का नाम जोड़ने से संबंधित दावा **प्रपत्र–एम 3 में तथा मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति प्रपत्र–एम 4** में विहित समय सीमा के अंदर ही लिया जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों द्वारा दी जायेगी, जो संबंधित दुग्ध उत्पादक स्वावलंबी समिति के सदस्य हैं। **बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी। सादे कागज पर दी गई आपत्तियाँ स्वीकार्य नहीं होंगी।**

10. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वयं सक्षम होंगे।

11. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्रों में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति–पत्र पर ही मुखर आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम समिति ने हटा दिया हो तो मांगे जाने पर समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम/ नियमावली के विहित प्रावधानों का पालन करते हुए ही नाम हटाया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी इस विषय पर प्रबंध निदेशक से तकनीकी परामर्श ले सकते हैं। इसी तरह जिनका नाम पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में नहीं था परन्तु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हों तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क प्रमाण–पत्र/ शेयर प्रमाण–पत्र/ मिल्क यूनियन द्वारा निर्गत फोटो

प्रमाण–पत्र/ फोटोयुक्त प्रोक्योरमेंट चार्ट की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न होनी चाहिए एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जाएगी। साथ ही साथ आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जा सकती है।

12. आपत्तियों का निष्पादन करने में अपनी सहायता हेतु निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित संघ से आवश्यकतानुसार एक या अधिकतम दो कर्मियों, जो प्रापन सहायक (Procurement Assistant) या रूट इंचार्ज (Route Incharge) या दुग्ध संग्रहण पदाधिकारी या कैम्प प्रभारी हो सकते हैं, की प्रतिनियुक्ति अपने यहाँ करेंगे। ये पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी के साथ संबद्ध रहेंगे एवं वैसे संगत अभिलेख/ कागजात आदि समिति से प्राप्त कर निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जो उनके द्वारा आपत्तियों/ दावों के निष्पादन हेतु आवश्यक समझा जाय। स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी केवल निर्वाचन पदाधिकारी के सहायतार्थ होंगे एवं किसी भी समय उनकी भूमिका उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नहीं होगी।

13. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें **प्रपत्र–एम 5** में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन–सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। **प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा।** मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन **प्रपत्र–एम 6** में किया जायेगा।

14. संबंधित दुग्ध उत्पादक स्वावलंबी समिति की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन हस्ताक्षर किया जाएगा जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है, एवं इसमें कोई छेड़–छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो; किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

15. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी –सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी संबंधित दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा **प्रपत्र–एम 1** में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे, एवं एक प्रति का उपयोग मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

16. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए; एक प्रति दुग्ध उत्पादक समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए एवं एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति दुग्ध उत्पादक संघ के प्रबंध निदेशक को उपलब्ध करा दी जायेगी। **जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹ 2/- प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।**

17. **दिनांक 08.10.2025** के पूर्वाह्न तक निर्वाचन पदाधिकारी विनिर्दिष्ट स्थलों पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेंगे। मतदाता सूची के अंतिम प्रकशन की सूचना प्रपत्र– एम 6 में निर्गत किया जाएगा। तत्पश्चात् मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर "हाँ" अथवा "नहीं" में किया जाएगा। **निर्वाचन पदाधिकारी को स्पष्ट किया जाता है कि वेबसाईट पर अंतिम प्रकाशन के सूचना की प्रविष्टि होने के पश्चात् ही प्राधिकार द्वारा संबंधित समिति का निर्वाचन कराया जायेगा।** मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना उसी दिन प्रपत्र– एम 7 में निर्वाचन

पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रबंध निदेशक को उपलब्ध करायी जाएगी। प्रबंध निदेशक द्वारा उक्त सूचनाओं को समेकित कर प्रपत्र– एम 7 में ही प्राधिकार को ई–मेल के माध्यम से **दिनांक 10.10.2025 तक** निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

18. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित समिति को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः यथोक्त।

9/9/25

(कयूम अंसारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2608 /पटना, दिनांक 09/09/2025

प्रतिलिपिः प्रबंध निदेशक, कम्फेड, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, देशरत्न डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड / प्रबंध निदेशक, तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/25
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2608 /पटना, दिनांक 09/09/2025

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत एवं मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/25
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2608 /पटना, दिनांक 09/09/2025

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/25
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2608 पटना/ दिनांक 09/09/2025

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ श्री वेद प्रकाश, आई॰टी॰ प्रोफेशनल, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

9/9/25
संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक–1

निर्वाचन देय प्राथमिक दुग्ध उत्पादक स्वावलम्बी सहयोग समितियों की सूची:–

क्रमांक	जिला	प्रखंड	समिति का नाम	संबद्ध संघ
1	2	3	4	5
1	खगड़िया	अलौली	अलौली दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड	देशरत्न डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
2	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	छौड़ादानो	विशुनपुरवा बहास दुग्ध उत्पादक स्वावलंबी समिति	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
3	मुजफ्फरपुर	औराई	झौआ महिला दुग्ध उत्पादक स्वावलंबी सहकारी समिति	तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०

मतदाता सूची के प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि/ अपलोड से संबंधित निर्देश।

दिनांक 19.09.2025 को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रबंध निदेशक से **प्राप्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन अन्य विहित स्थानों के अलावे** प्राधिकार के वेबसाईट पर प्रारूप मतदाता सूची को स्कैन कर के Pdf File में अपलोड कर किया जायेगा। इसके लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी–

I. प्राधिकार के वेबसाइट https://bsea.bihar.gov.in का लॉगिन पेज open करेंगे,

II. ऊपर वर्णित ''समितियों के मतदाता सूची का प्रकाषन कार्यक्रम'' टैब पर क्लिक करेंगे,

III. मतदाता सूची के प्रकाषन की सूचना (M-2) पर क्लिक करेंगे,

IV. टेबल में उपलब्ध विभिन्न पत्र संख्या के सामने ''View'' बटन पर क्लिक करेंगे,

V. **क्लिक करने के उपरांत नीचे खुले दूसरे टेबल में "प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं" की सूचना देते हुए प्रारूप मतदाता सूची के SCANNED PDF फाइल को अपलोड करेंगे,**

VI. SCANNED PDF फाइल अपलोड करने के उपरांत यह आष्वस्त हो लें कि सही फाइल को अपलोड किया गया है, तत्पष्चात् Entry करने वाले व्यक्ति का नाम तथा मोबाईल नम्बर देने के बाद Submit बटन पर क्लिक करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची स्कैन करने से संबंधी निर्देश :–

I. प्रारूप मतदाता सूची को ब्लैक एंड व्हाईट मोड में स्कैन करना है (Grey अथवा Colour में नहीं),

II. Resolution 200 से 300 dpi में रखना है,

III. Scanned फाइल को PDF फाइल के रूप में save करना है,

IV. PDF फाइल साईज 30 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए,

V. PDF फाइल साईज 30 MB से ज्यादा होने की स्थिति में compressed करने पर सूची अच्छे से पठनीय होना चाहिए, फाइल quality खराब नहीं होना चाहिए।

'कम्प्यूटर स्कैनर से स्कैन करने के लिए प्राथमिकता दिया जाय। स्कैनर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मोबाईल से स्कैन करते वक्त भी उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

प्रारूप मतदाता सूची का pdf फाईल अपलोड हो जाने के बाद यह वेबसाइट के Home page पर उपलब्ध Public View **"समितियों से संबंधित प्रारूप मतदाता सूची देखने के लिए क्लिक करें"** पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

2. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने–अपने प्रखंड में अवस्थित समितियों की मतदाता सूची का **प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना** प्राधिकार के वेबसाइट https://bsea.bihar.gov.in पर अपने यूजर नेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) **दिनांक 19.09.2025** को निम्नरूप से किया जायेगा :–

i) होमपेज में ऊपर **"समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम"** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित **"प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं"** में ''हाँ'' अथवा ''नहीं'' का चयन कर सबमिट करेंगे।

3. निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ पर अपने यूजर नेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना **दिनांक 08.10.2025** को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) करेंगे:–

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर **"समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम"** पर क्लिक करेंगे।

तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित **"अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं"** में हाँ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन/अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर **"मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं"** पर क्लिक कर देख सकेंगे।

.......0........